वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए उपरोक्त राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 25/04/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला) 25/4/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–875/ 980 रायपुर, दिनांक 25/04/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Construction of ITI, Polytechnic and other associated infrastructures in Village-Chokawada, Tehsil-Jagdalpur, District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd, area 9.80 ha.-reg.**

– **पंजीयन कमांक – FP/ CG / Others / 28963/ 2017**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ./ 942 दिनांक 10.04.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी. आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2) – अधिशासी निदेशक, एन.एम. डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/ CG / Others / 28963/ 2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.11.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 19,000 रूपये कुल 35,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03 से 08) – प्रस्तावित परियोजना हेतु बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसना नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 09 से 11) – प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा नं. 639 रकबा 1.400 हे. गैर वन भूमि प्रस्तावित है। नक्शा एवं खसरा संलग्न है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 13) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 17) – राजस्व वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 24) – प्रपत्र – 4 में बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसना नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 28.91 करोड़ रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.0 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 25 से 26) – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसना नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

आई.टी.आई. पॉलिटेक्नीक से ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा, जो आई.टी.आई, पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु नितांत आवश्यक है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि के दुगुने क्षेत्र पर शासन द्वारा समय–समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – आवेदनकर्ता अधिशासी निदेशक, एन.एम. डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर का बस्तर वन मंडल अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसना नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 63) – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – आवेदित क्षेत्र वृक्ष विहीन है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 67) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 68 तक) – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 69) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 70 – 92 तक) – आवेदित राजस्व वन 9.800 हे. के एवज में कलचा नारंगी वन कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 20.00 हे. नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 93 से 95) – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 24.863 हे. में से 20.00 हे. क्षेत्र

चयनित किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया चयनित क्षेत्र का घनत्व 0.0 है। खुला वन है तथा रिक्त क्षेत्र उपलब्ध है। चयनित क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 96) – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 97) – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 98) – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 100) – प्रस्ताव हेतु बस्तर वन मंडल के चित्रकोट परिक्षेत्र अंतर्गत रायकोट (अ) स.व. कक्ष क्रमांक 859 (पुराना 1838) कुल रकबा 240.714 हे. में से 19.600 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकयता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 101) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 113) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल द्वारा दिनांक 24.02.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त द्वारा दिनांक 10.04.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से 116) –व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत / स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 124) – आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 125) – बस्तर जिले की कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 126 से 127) – बस्तर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के 20 प्रकरण रकबा 867.156 हे. स्वीकृति की गई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 128) – बस्तर वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 129) – प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 133 तक) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बस्तर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र 20.03.2018 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 135) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि के संबंध में कलेक्टर, जिला बस्तर का दिनांक 24.08.2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 136 से 137) – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – वन मंडलाधिकारी बस्तर वन मंडल एवं आवेदक संस्थान के संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार भूमि की दशा प्राकृतिक **(GEO-ECOLOGICAL)** कारणों से है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 140) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 141) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 142) – चैक लिस्ट बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 143) – वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

वि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 144) – लागू नहीं।

वि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 145 से 150) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–875/981

रायपुर, दिनांक 25/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. **अधिशासी निदेशक**, एन.एम.डी.सी., आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जगदलपुर

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़